न्यायालय –प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 बण्डा, जिला सागर, म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी –अंकिता श्रीवास्तव)

फा.नं. आरसीएसए 6/18
सीएनआर एमपी 1509000020 2018
व्यवहार वाद क्रमांक–1ए/18
संस्थित दिनांक 04/01/18

01– राजकुमार पिता नत्थू सिंह राजपूत उम्र 12 साल
निवासी–ग्राम चील पहाड़ी, तह. बंडा, जिला सागर म.प्र.
की ओर सेः–
वाद मित्र/वाद संरक्षक
सियाबाई पति चरणसींग राजपूत उम्र 66 साल
निवासी–ग्राम पटौआ तह. बंडा, जिला सागर म.प्र.

02– नत्थू सिंह राजपूत पिता स्व. चंदन सिंह राजपूत उम्र 35 साल
निवासी–ग्राम चील पहाड़ी, तह. बंडा, जिला सागर म.प्र.
वाद मित्र/वाद संरक्षक
सियाबाई पति चरणसींग राजपूत उम्र 66 साल
निवासी–ग्राम पटौआ तह. बंडा, जिला सागर म.प्र.

.....**वादीगण**

विरूद्ध

01– श्रीमति उमाबाई पति महताब सिंह राजपूत उम्र 46 साल
निवासी–ग्राम ततरवारा, तहसील शाहगढ़ जिला सागर म.प्र.

02– महताब सिंह पिता प्रताप सिंह राजपूत उम्र 58 साल
निवासी–ग्राम ततरवारा, तहसील शाहगढ़ जिला सागर म.प्र.

03– म.प्र. राज्य द्वारा–कलेक्टर महोदय जिला सागर म.प्र.

.....**प्रतिवादीगण**

//आदेश//

(आज दिनांक– 30.08.19 को पारित किया गया)

01. इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 (आई.ए.नं.–2) दिनांकित 04.01.18 का निराकरण किया जा रहा है।

02. यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रति.क्रं. 1 व 2 ग्राम ततरवारा तह. शाहगढ़ जिला सागर के निवासी हैं तथा वादी के बुआ एवं फूफा हैं।

03. वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में यह है कि वादी ग्राम चीलपहाड़ी तह. बंडा का स्थायी निवासी है तथा वादी की कृषि भूमि मौजा चील पहाड़ी, प.ह.नं. 55, रा.नि.मं. बंडा जिला सागर में ख.नं. 39, 301, 940, 551 कुल मेड़ 4, रकवा क्रमशः 0.91, 0.46, 0.84, 0.03 हेक. कुल 2.24 हेक. भूमि है। वादग्रस्त भूमि एवं पारिवारिक मकान आदि संपत्ति पर वादी का कब्जा है। वादी व वादी की ओर से उसके नाना–नानी वादग्रस्त भूमि संपत्ति पर कृषि कार्य कर वादी का भरण–पोषण कर रहे हैं तथा पारिवारिक मकान पर वादी का निवास है। प्रति. क्रं. 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि एवं पारिवारिक मकान का वसीयतनामा वादी की दादी सुशीलाबाई से निष्पादित करा लिया। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि एवं पारिवारिक मकान में वादी के कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दिनांक 02.1.18 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि व मकान पर कब्जा किए जाने का प्रयास किए जाने पर वादी द्वारा बंडा थाना में रिपोर्ट की गयी। लगातार प्रति.क्रं. 1 व 2 द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रति.क्रं. 1 द्वारा धमकी भी दी गयी है कि जो फसल वादीगण ने बोई है वह फसल वे लोग काट लेंगे। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है यदि अस्थायी निषेद्याज्ञा न दी गयी तो वादी को अपूरनीय क्षति होगी। सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अतः मामले के अंतिम निराकरण तक अस्थायी निषेद्याज्ञा के माध्यम से प्रति.क्रं. 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि व मकान में दखल देने से रोकने का निवेदन किया है।

04. प्रतिवादीगण ने उक्त आवेदन से इंकार करते हुए व्यक्त किया है कि वादी ने विवादित भूमि का तहसीलदार महोदय बंडा के रा.प्र.क्रं. 10अ/27 वर्ष 16–17 आदेश दिनांक 27.03.17 के माध्यम से बंटवारा हो गया है। पक्षकारों के हक अनुसार 1/3 का बंटवारा किया जाकर राजस्व अभिलेख में पृथक नाम दर्ज हो गए हैं। प्रति.क्रं. 1 को भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भी प्राप्त हो गयी है। 1/3 हक वसीयतकर्ता सुशीलाबाई पति चंदन सिंह को प्राप्त हुआ था जिसका वसीयतनामा दिनांक 28.7.17 को उनके द्वारा प्रति.क्रं. 1 के पक्ष में निष्पादित कर

दिया गया। सुशीला बाई को मौजा चील पहाड़ी में स्थित भूमि ख.नं. 39/3, 301/4, 940/4 रकवा क्रमशः 0.30, 0.15, 0.29 कुल रकवा 0.74 हेक. प्राप्त हुआ था। वादी नाबालिग है तथा अपनी मां के साथ ग्राम भदोरा जिला छतरपुर का निवासी है। वादी की ओर से उसके नाना नानी द्वारा खेती नहीं की जा रही है। सुशीलाबाई ने अपनी स्वतंत्र सहमति से गवाहों के समक्ष अपने हक व हिस्से की भूमि, मकान एवं बेड़ा का पंजीकृत वसीयतनामा अपनी पुत्री उमाबाई के पक्ष में दिनांक 28.7.17 को निष्पादित किया है जिसमें दखल देने का अधिकार वादी को नहीं है। सुशीलाबाई के जीवनकाल में बंटवारा हो गया था। जिससे उन्होने अपने हक की जमीन अपनी पुत्री को वसीयत कर दी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादीगण के पक्ष में है। सुविधा संतुलन एवं अपूरनीय क्षति वादीगण को नहीं होगी। अतः वादी का आवेदन सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

05. अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण के लिए विधि द्वारा स्थापित मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :–

1. क्या आवेदक का प्रथम दृष्टया प्रकरण है?
2. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है?

सकारण विवेचन एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1:–

06. वादीगण ने आवेदन के माध्यम से मौजा चीलपहाड़ी प.ह.नं. 55 रा.नि. मं. बंडा के ख.नं. 39, 301, 940 एवं 591 रकवा क्रमशः 0.91, 0.46, 0.84, 0.03 कुल रकवा 2.24 हेक. पर वाद निराकरण तक प्रतिवादीगण को दखल देने से रोकने का अनुतोष चाहा है।

07. उक्त आवेदन के समर्थन में वादी की वाद मित्र सियाबाई ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं वादी के द्वारा दस्तावेज के रूप में वादग्रस्त भूमि मौजा चीलपहाड़ी के संबंध में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 28.07.17, तहसीलदार बंडा के समक्ष पेश किया गया नामांतरण आवेदन दिनांक 13.10.17, वादग्रस्त भूमि का खसरा बी–1, सुशीलाबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.9.17, तहसीलदार बंडा का इश्तहार दिनांक 16.10.17, मानसिक रोग प्रमाण पत्र दिनांक 04.8.2003

प्रस्तुत किया है।

08. वादी राजकुमार के अनुसार उक्त भूमि पैत्रिक है जिस पर उसके पिता व उसका अधिकार है। प्रतिवादी क्रं. 1 अर्थात् उसकी बुआ के द्वारा फर्जी तरीके से बंटवारा कराकर, उसकी दादी सुशीला बाई से वसीयतनामा लेख करा लिया। जबकि प्रतिवादी के अनुसार सुशीलाबाई के जीवनकाल में ही बंटवारा हो गया था जिसके पश्चात् सुशीलाबाई ने दिनांक 28.7.17 को अपने हक की भूमि अपनी पुत्री प्रति.क्रं. 1 को वसीयत कर दी।

09. वादी द्वारा पेश किये गए दस्तावेजों खसरा वर्ष 2017–18 से स्पष्ट रूप से दर्शित है कि उक्त भूमि तीन भागों में विभाजित की गयी। ख.नं. 39, 301, 940 के तीन बटांक हुए और तीनों हिस्सेदारों का अलग–अलग नाम अंकित है। 39/1, 301/1, 591, 940/1 रकवा क्रमशः 0.310, 0.160, 0.030 एवं 0.260 पर वादी राजकुमार के पिता नत्थू का नाम अंकित है। जिससे प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि तीनों हस्सेदारों को बराबर–बराबर भूमि विभाजित कर दी गयी। वसीयतनामा दिनांक 28.7.2017 से यह दर्शित होता है कि सुशीला बाई ने अपने हक की जमीन 39/3, 301/4 एवं 940/4 रकवा क्रमशः 0.30, 0.15 एवं 0.29 हेक. भूमि अपनी पुत्री उमाबाई प्रति.क्रं. 1 को वसीयत कर दी।

10. यद्यपि वादी यह प्रमाणित कर सकता है कि बंटवारा या वसीयत सही नहीं है परंतु यह साक्ष्य का प्रश्न है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रतिवादी के पक्ष में दर्शित होता है। इस प्रकार संपूर्ण भूमि ख.नं. 39, 301, 940, 591 के संपूर्ण रकवा के संबंध में प्रतिवादीगण को निषेधित नहीं किया जा सकता।

11. अस्थाई निषेद्याज्ञा के लिए वादी का प्रथम दृष्टया ऐसा स्थापित मामला होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य लेकर ही तय हो सकता हो और उसमें वादी के विजयी होने की वादी द्वारा ऐसा मामला स्थापित नहीं किया गया जिसमें उसके विजयी होने की प्रबल संभावना हो। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रतिवादीगण के पक्ष में दर्शित होता है।

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक 2 व 3</u>:–

12. न्यायदृष्टांत Gopal Narain VS State of M.P., 1979 JLJ 662 में यह प्रतिपादित किया गया है कि ''If prima facie case is not established other factors

need not to be seen" मामले में आवेदकगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहे हैं। अतः उक्त विधि के आलोक में उन बिंदुओं पर विचार किया जाना निरर्थक है। इस प्रकार यह भी विचारणीय प्रश्न साबित नहीं होता।

13. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि वादीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति और सुविधा संतुलन का बिन्दु साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 (आई0ए0नं0 2) निरस्त किया जाता है।

14. इस आदेश का कोई प्रभाव प्रकरण के गुण दोषों पर होने वाले अंतिम निराकरण पर नहीं रहेगा।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

ANKITA SHRIVASTAVA

ANKITA SHRIVASTAVA 2019.08.30 12:00:33 +05'30'

स्थान–बण्डा, सागर
दिनांक–30/08/19

(अंकिता श्रीवास्तव)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2
बण्डा, जिला सागर, म.प्र.